पत्रांक–5 / बी01–43 / 2016...............................

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

उपेन्द्र नारायण महतो,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक ..../

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायन्ता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 7 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल रूपये **39,78,64,800 / –(उनचालीस करोड़ अठहत्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ रूपये)** मात्र राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृत्तियॉं, उप शीर्ष–0105–प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृत्ति / वजीफा, विपत्र कोड संख्या–पी 2202011090105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल राशि रू0 **39,78,64,800 / –(उनचालीस करोड़ अठहत्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ रूपये)** मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि0–2), दिनांक–17.04.1998 300(वि), दिनांक–08.05.2009, 423 दिनांक–31.03.2016, 2793 दिनांक–04.04.2016 एवं 4572 दिनांक–03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

3. उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या–79 दिनांक–21.02.2017 के आलोक में आवंटित है।

4. इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या–79 दिनांक–21.02.2017 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।

5 आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

Sunil kumar sinha

7. वितीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

8 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10 मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

12. वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा विपत्र कोड–पी 2202011090105, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृति/वजीफा में रू० 50,00,00,000/–(पचास करोड़ रूपये) मात्र अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(उपेन्द्र नारायण महतो),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 271 पटना, दिनांक:– 23/2/17

प्रतिलिपि:– सभी कोषागार पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि०एवं सर्व शिक्षा अभियान)/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.2.17
(उपेन्द्र नारायण महतो),
सरकार के उप सचिव।

Sunil kumar sinha

कक्षा 7 एवं 8 के सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्राओं हेतु

राज्य योजना अन्तर्गत मांग संख्या–21 मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन, उपशीर्ष–0105–प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति, विपत्र कोड–पी0 2202011090105 अंतर्गत विषय शीर्ष–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा में वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिलावार आवंटित राशि की विवरणी।

क्र0 सं0	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि (रू0 में)	तत्काल आवंटित राशि (रू0 में)	कुल आवंटित राशि (रू0 में)
1	2	4	5	6
1	अररिया	0	2224800	2224800
2	अरवल	0	1346400	1346400
3	औरंगाबाद	0	6908400	6908400
4	बांका	0	4863600	4863600
5	बेगुसराय	0	14243400	14243400
6	भागलपुर	0	10762200	10762200
7	भोजपुर	0	12699000	12699000
8	बक्सर	0	9097200	9097200
9	दरभंगा	0	24926400	24926400
10	गया	0	11320200	11320200
11	गोपालगंज	0	9959400	9959400
12	जमुई	0	6336000	6336000
13	जहानाबाद	0	4019400	4019400
14	कैमूर	0	4192200	4192200
15	कटिहार	0	23315400	23315400
16	खगड़िया	0	4006800	4006800
17	किशनगंज	0	28198800	28198800
18	लखीसराय	0	5250600	5250600
19	मधेपुरा	0	3277800	3277800
20	मधुबनी	0	19297800	19297800
21	मुंगेर	0	4820400	4820400
22	मुजफ्फरपुर	0	18885600	18885600
23	नालन्दा	0	6746400	6746400
24	नवादा	0	9775800	9775800
25	पश्चिमी चम्पारण		9324000	9324000
26	पटना	0	13217400	13217400
27	पूर्वी चम्पारण		17686800	17686800
28	पूर्णियां	0	6057000	6057000
29	रोहतास	0	9934200	9934200
30	सहरसा	0	5517000	5517000
31	समस्तीपुर	0	14432400	14432400
32	सारण	0	18639000	18639000
33	शेखपुरा	0	3024000	3024000
34	शिवहर	0	3906000	3906000
35	सीतामढ़ी	0	16542000	16542000
36	सिवान	0	12628800	12628800
37	सुपौल	0	10270800	10270800
38	वैशाली	0	10211400	10211400
	कुल	0	**397864800**	**397864800**

कुल (उनचालीस करोड़ अठहत्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ) रूपये मात्र।

23.2.17

(उपेन्द्र नारायण महतो)
सरकार के उप सचिव।

D:/Prabha/Allotment Letter/1